सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/154 दिनांक : 5–2–2020

दिल्ली विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में
दिनांक 8–02–2020 को बाजार में अवकाश

सभी व्यापारी भाईयों से निवेदन करते हैं कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें एवं अपने साथियों, पड़ोसियों, मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्र में जाकर मतदान करायें।

साथियों, यह आपका मौलिक व संवैधानिक अधिकार हैं, मतदान करके अपने पसन्द की सरकार चुनें एवं अपने देश को आगे बढ़ायें। आपका एक वोट का महत्व इस सरकार बनानें में महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एवं एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव के सन्दर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी(दिल्ली) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी किया है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, की धारा 135 बी के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को, जो मतदान का अधिकार रखता हो, चुनाव के दिन (दिल्ली में 8–02–2020) को अवकाश दिया जाएगा जिससे वह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपना वोट दे सके। आदेश का उल्लंघन करने पर जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(3) के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है। अतः आप सभी से निवेदन है कि **शनिवार दिनांक 8–02–2020 को अपने–अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद रखें एवं मतदान के दिन मतदान अवश्य करें।**

साथियों, शनिवार दिनांक 8–02–2020 को मतदान का समय सुबह 8.00 बजे से लेकर सायं 6.00 बजे तक है, आप अपना कीमती वोट अवश्य डालें, आपका एक वोट बहुमूल्य हैं। चुनाव केन्द्र में आप अपने साथ कोई भी पहचान पत्र जैसे कि वोटर आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि अवश्य ले जाए।

कृ0प0उ0.........2

सरकूलर नं0: अपमा / 2018–2020 / 155

''अपमा निःशुल्क चिकित्सालय''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि अपमा पिछले 25 वर्षो से निःशुल्क चिकित्सालय का सुचारू रूप से संचालन कर रही है। जिसमें एक योग्य एवं अनुभवी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर शालिनी जी की सेवाएं सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक 40 से 50 जरूरतमंद मरीजों का प्रतिदिन इलाज किया जा रहा है। व्यापारी भाई उनके कर्मचारी, झल्ली वाले, ठेलेवाले एवं क्षेत्र के निवासी प्रतिदिन डिस्पेन्सरी में आकर अपना इलाज करवाने आते हैं। यदि किसी को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता चाहिए तो अवश्य भेजें। चिकित्सालय में पहली बार जब मरीज आता है तो उससे 10 रूपये पंजीकरण शुल्क एवं 5 रूपये दवा का शुल्क लिया जाता है तथा उसके बाद मरीज से केवल 5 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दवाओं का शुल्क लिया जाता है । अपमा डिस्पेन्सरी में दानदाताओं का निरन्तर उत्साहवर्द्धक आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। जिसमें मासिक दानदाता अपनी इच्छा अनुसार 100 रूपये से लेकर अधिक से अधिक राशि का आर्थिक अनुदान देते हैं, दवाईयों का भी विशेष अनुदान मिलता रहता है। आप भी इस धर्मार्थ कार्य में बढ़–चढ़कर अपना योगदान दें तथा जरूरतमंद मरीजों की दुआएं लें। आप चाहे तो 3100/– रूपये का आर्थिक दैनिक दान देकर एक दिन के लिए मरीजों के इलाज एवं दवाएं वितरित करने हेतु अपमा डिस्पेन्सरी में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी दानदाताओं का हार्दिक स्वागत है। इच्छुक दानदाता व्यापारी भाई अपमा में प्रतिमाह आर्थिक योगदान या दवाईयां देना चाहते हैं, वे अपमा कार्यालय में अपना नाम नोट करवा दें। हर महीने हमारा कर्मचारी आपसे धनराशि ले जायेगा। अपमा डिस्पेन्सरी 80 जी के अन्तर्गत पंजीकृत है। डिस्पेन्सरी हेतु आप द्वारा दी हुई दान राशि पर आपको इनकम टैक्स 80 जी के अन्तर्गत 50% छूट मिलेगी।

(अपमा डिस्पेन्सरी में मशीन द्वारा शुगर टेस्ट एवं बल्ड प्रेशर चैक करने की सुविधा उपलब्ध है।)

सरकूलर नं0: अपमा / 2018–2020 / 156

''खोया–पाया''

आप सभी को सूचित किया जाता है कि कुछ पर्चीयां मै0 अल्फा सेल्स एजेन्सी, 9/5, निकल्सन, कश्मीरी गेट को निकल्सन रोड से प्राप्त हुई हैं। यदि किसी व्यापारी भाई के ये पर्चीयां गुम हो गइ है तो वे इनकी पहचान बताकर मै0 अल्फा सेल्स एजेन्सी, 9/5, निकल्सन, कश्मीरी गेट से प्राप्त कर सकते हैं।

(विनय नारंग)
महासचिव